केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

एफ./सीबीएसई/प्रशा ॥/लोक प्रापण का कार्यान्वयन/2018 दिनांक: 05.02.2019

परिपत्र

यह कार्यालय ज्ञापन सं. जी-21015/02/2018-आईएफ- ॥ दिनांक 17.07.2018 के अनुसार लोक प्रापण के कार्यान्वयन के संदर्भ में है जिसमे कार्यालय ज्ञापन सं. 7/7/2018- पीपीडी दिनांक 05.06.2018 का संदर्भ है जो कहता है कि औद्यौगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) ने खंड 10 के आदेश "घरेलू आपूर्तिकर्ताओं का अनुचित बहिष्कार के कारण प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण खंडों को केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीद में शामिल नहीं किया जा सकता है, के अनुसार जीएफआर 2017 के नियम 153 (iii) के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के घरेलू उत्पादन के संवर्धन के लिए लोक प्रापण (मेक इन इंडिया को अधिमान देते हुए),आदेश 2017 (पीपीपी- एमआईआई आदेश) दिनांक 15.06.2017 को जारी किया है।

मंत्रालयों/विभागों के वितीय सलाहकारों को वस्तुओं को प्रापण करने की निविदा दस्तावेजों की पात्रता शर्तों की समीक्षा आदेश के खंड 10 के अनुसार करने का अनुरोध किया जाता है जो कि कहता है कि:-

1. प्रत्येक प्रापण करने वाला व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि पिछले अनुभव के संदर्भ में किसी निविदा अथवा याचना में नियत की गई पात्रता शर्तों को अन्य देशों में आपूर्ति के प्रमाण अथवा निर्यात के प्रमाण आवश्यकता नही है।
2. प्रापण करने वाले व्यक्ति यह देखने का प्रयास करेंगे कि पात्रता स्थितियाँ जैसे कुल बिक्री, उत्पादन क्षमता और वितीय सामर्थ्य के मामलों सहित घरेलू आपूर्तिकर्ता जो अन्यथा आपूर्तिकर्ता की गुणवत्ता और उधारपात्रता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने से परे पात्र होंगे, का अनुचित बहिष्कार नहीं हो।
3. प्रापण करने वाले व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दो माह के भीतर उपर्युक्त सब पैराग्राफ (1) एवं (2) के संदर्भ में सभी विद्यमान पात्रता मानदंडों एवं शर्तों की समीक्षा करेंगे।

इसप्रकार, बोर्ड के सभी कार्यालयों/स्थापना अनुभाग/एककों को सूचना और अग्रिम कार्रवाई के लिए ऊपर उल्लिखित शर्तों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया जाता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/-
(जयप्रकाश चतुर्वेदी)
उप सचिव(प्रशा. एवं विधि)

प्रतिलिपि:-

1. **माननीय अध्यक्ष के प्रधान निजी सचिव को सूचना हेतु**
2. **सीबीएसई सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव**
3. **सीबीएसई के सभी विभागाध्यक्ष वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव के सूचना हेतु**
4. **बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उत्कृष्टता केंद्र को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु**